भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2663
19 दिसम्बर, 2023 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए निधियां

2663. श्री शंकर लालवानी:
डॉ. मनोज राजोरिया:
डॉ. भारतीबेन डी. श्याल:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का आबंटन और उपयोग कितना-कितना है और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में सहायता प्राप्त योजनाओं और परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसी अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण/परिरक्षण उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रदान की गई ऋण संबंध वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है और लाभार्थियों की संख्या कितनी है और कुल कितनी राशि संवितरित की गई है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) और (ख) : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) वर्ष 2016-17 से अपनी केंद्रीय क्षेत्र अंब्रेला योजना प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई), वर्ष 2021-22 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और वर्ष 2020-21 से केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के माध्यम से संबंधित अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है।

पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत, एमओएफपीआई 14 वें और 15 वें वित्त आयोग चक्र के लिए 10600 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ उद्यमियों को ज्यादातर क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान करता है। पीएमकेएसवाई क्षेत्र या राज्य विशिष्ट नहीं है, बल्कि राज्य-वार फंड आवंटन और रिलीज के बिना मांग आधारित है। अब तक, मंत्रालय ने पीएमकेएसवाई की संबंधित घटक योजनाओं के तहत 41 मेगा फूड पार्क, 372 कोल्ड चेन परियोजनाएं, 73 कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर, 513 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, 61 बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज परियोजनाओं और 53 ऑपरेशन ग्रीन परियोजनाओं सहित 1401 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।

मंत्रालय पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता भी प्रदान करता है। यह योजना 2020-21 से 2024-25 तक पांच साल की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ चालू है। पीएमएफएमई के तहत क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता के लिए कुल 62712 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मंजूरी दी गई है।

पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण और अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करना है। यह योजना 2021-22 से 2026-27 तक छह साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कार्यान्वित की जा रही है। योजना की विभिन्न श्रेणियों के तहत कुल 176 खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को सहायता के लिए मंजूरी दी गई है।

मंत्रालय की योजनाओं में आवंटित धनराशि और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को जारी की गई धनराशि **अनुबंध-II** में दी गई है।

*****

अनुबंध- II

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए निधि के संबंध में दिनांक 19.12.2023 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2663 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एमओएफपीआई की योजनाओं में आवंटित धनराशि और उपयोग की गई धनराशि का विवरण

(करोड़ रुपये में)

योजना	वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23	
	आरई	एई	आरई	एई	आरई	एई	आरई	एई	आरई	एई
पीएमकेएसवाई	870.33	591.38	889.43	694.81	750.00	667.05	791	713.49	673.00	561.92
पीएमएफएमई	योजना 2020-21 में आरंभ हुई				400.00	394.59	399	289.85	290	274.76
पीएलएसएफपीआई	योजना वर्ष 2021-22 में आरंभ हुई						10	7.38	801	489.83

आरई-संशोधित अनुमान, एई-वास्तविक व्यय

अनुबंध- II

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए निधि के संबंध में दिनांक 19.12.2023 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2663 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2020-21 से पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को जारी की गई धनराशि

(करोड़ रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23
अंडमान और निकोबार	1.82	1.92	0
आंध्र प्रदेश	34.98	23.02	11.53
अरुणाचल प्रदेश	0.15	7.34	0
असम	16.71	15.86	12.58
बिहार	9.05	13.59	0
चंडीगढ़	0.40	0.91	0.38
छत्तीसगढ़	7.04	8.85	0
दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0.40	0.89	0
दिल्ली	0.50	0.32	0.91
गोवा	0.41	3.10	1.25
गुजरात	16.55	8.47	0.00
हरियाणा	3.23	3.14	0
हिमाचाल प्रदेश	5.19	4.92	3.28
जम्मू और कश्मीर	8.19	1.27	0
झारखंड	2.69	1.74	0
कर्नाटक	32.47	18.96	8.88
केरल	10.13	3.06	2.58
लद्दाख	0.45	0.93	1.55
लक्षद्वीप	0.40	0.61	0
मध्य प्रदेश	20.62	8.00	0
महाराष्ट्र	27.58	24.49	39.05
मणिपुर	3.14	3.27	0
मेघालय	2.69	3.04	0
मिजोरम	7.73	2.94	0
नागालैंड	6.64	5.90	0
उड़ीसा	30.37	29.45	0
पुडुचेरी	1.16	0.79	0.59
पंजाब	5.76	6.73	0
राजस्थान	14.51	12.46	0
सिक्किम	5.12	1.47	1.62
तमिलनाडु	12.95	2.49	6.87
तेलंगाना	33.16	16.80	0
त्रिपुरा	3.11	10.23	0
उत्तर प्रदेश	36.29	23.36	1.19
उत्तराखंड	6.03	2.18	0
पश्चिम बंगाल	0	0	0